

भारत सरकार  
श्रम और रोजगार मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 1276  
सोमवार, 08 दिसंबर, 2025/17 अग्रहायण, 1947 (शक)

बाल श्रमिक

+1276. श्री पार्थ भौमिक:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में 14 वर्ष से कम आयु के कितने बच्चे काम कर रहे हैं;
- (ख) देश में खतरनाक उद्योगों में कार्यरत 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या कितनी है; और
- (ग) देश में पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान पुनर्वासित बाल मजदूरों की वर्ष-वार संख्या कितनी है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री  
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ग): बालक और किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी व्यवसाय एवं प्रक्रिया में तथा 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग के किशोरों का जोखिमवाले व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में कार्य या नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध का उपबंध है। यह अधिनियम इसके उपबंधों के उल्लंघन के लिए नियोक्ताओं को कड़ी सजा का प्रावधान करता है और अधिनियम के तहत अपराधों को संज्ञेय बनाता है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय बाल श्रमिकों के बचाव एवं पुनर्वास हेतु राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) योजना का क्रियान्वयन कर रहा है, जिसके अंतर्गत 9-14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को काम से छुड़ाया गया, एनसीएलपी विशेष प्रशिक्षण केंद्रों (एसटीसी) में नामांकित किया गया और औपचारिक शिक्षा प्रणाली की मुख्यधारा में लाने से पहले उन्हें आवश्यक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की गई। एनसीएलपी योजना को 01.04.2021 से शिक्षा मंत्रालय की एक योजना, समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) में समाहित कर दिया गया है। 2018-19 से 2022-23 के दौरान एनसीएलपी योजना के अंतर्गत छुड़ाए गए/काम से मुक्त कराए गए, पुनर्वासित और मुख्यधारा में शामिल किए गए बच्चों की राज्यवार संख्या का विवरण अनुबंध में दिया गया है।

\*

\*\*\*\*

## अनुबंध

“बाल श्रमिक” के संबंध में श्री पार्थ भौमिक द्वारा दिनांक 08.12.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1276 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

2018-19 से 2022-23 के दौरान एनसीएलपी योजना के अंतर्गत छुड़ाए गए/काम से मुक्त कराए गए, पुनर्वासित और मुख्यधारा में शामिल किए गए बच्चों की संख्या।

क्र. सं.	राज्य	2018-19	2019-2020	2020-2021	2021-22	2022-23
1	आंध्र प्रदेश	778	1049	622	2090	441
2	असम	4562	6175	2800	0	1291
3	गुजरात	101	341	531	50	0
4	हरियाणा	171	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	--
5	झारखंड	1225	2940	3239	755	410
6	कर्नाटक	763	363	275	230	0
7	मध्य प्रदेश	4910	4010	29179	1268	172
8	महाराष्ट्र	8122	9337	2031	2537	337
9	ओडिशा	लागू नहीं	6	495	76	1415
10	पंजाब	915	483	1307	986	2504
11	राजस्थान	लागू नहीं	1712	लागू नहीं	301	18
12	तमिलनाडु	2534	3928	1456	2183	2628
13	तेलंगाना	935	214	300	618	935
14	उत्तर प्रदेश	8020	10371	9383	1833	339
15	पश्चिम बंगाल	17137	13879	6671	5207	3270
16	उत्तराखंड	लागू नहीं	62	--	3	1
17	नागालैंड	111	24	--	--	--
	कुल	50,284	54,894	58,289	18,137	13,761

स्रोत: श्रम और रोजगार मंत्रालय

\*\*\*\*